न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 05/2021 **दायर दिनांकः 12.10.2021**

उनवान

1. मेघराज नागर आयु 40 वर्ष पुत्र धनश्याम नागर जाति धाकड निवासी मेरमातालाब पटवारी पटवार हल्का कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

अपीलान्ट

बनाम

1. मनीष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बिछालस
2. कुलदीप पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बिछालस
3. संतोष बाई पत्नी मांगीलाल जाति मीणा निवासी
4. सरपंच ग्राम पंचायत कटावर पंचायत समिति अटरू जिला बारां।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 647 दिनांक 03/02/2021 ग्राम पंचायत कटावर

उपस्थिति :—

अपीलान्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

रेस्पोडेन्ट :— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल सुमन रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3

निर्णय

दिनाकः 26.06.2025

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एल आर एक्ट इस आशय की पेश की है कि वाके माल बिछालस में खातेदार मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी बिछालस के नाम आराजी ख0नं0 568/116 का रकबा 1.16 है0, ख0नं0 569/228 का रकबा 0.40 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है0 में हिस्सा 1/4 में भूमि खाते दर्ज थी। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है। खातेदार मांगीलाल पुत्र मोतीलाल की मृत्यु हो गई थी जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। मांगीलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मनीष द्वारा शपथ पत्र पेश करके मनीष पुत्र मांगीलाल, कुलदीप पुत्र मांगीलाल एवं संतोष बाई पत्नी मांगीलाल तीनों के नाम फौती नामान्तकरण खुलवा लिया। नामान्तकरण संख्या 647 दिनांक 25.01.2021 को दर्ज हुआ तथा

दिनांक 03.02.2021 को ग्राम पंचायत की कोरम में तस्दीक हुआ। नामान्तकरण की प्रति संलग्न है। नामान्तकरण खुलने के बाद मांगीलाल की पूर्व की पत्नी जिससे मांगीलाल का संबंध विच्छेद हो गया था उसकी पुत्री द्वारा दिनांक 27.07.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर अपने पिता मांगीलाल का फौती नामान्तकरण खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा उसके द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया कि मेरे पिता के हम दो पुत्र मनीष व कुलदीप व एक पुत्री मन्जू बाई एवं पत्नी संतोष बाई कुल चार जायज वारिसान है। मैं मेरे पिता मांगीलाल की पहली पत्नी की पुत्री हुॅ। मेरी मां का पिता मांगीलाल से संबंध विच्छेद होने के बाद में मेरी मां के साथ ही चली गई थी उस समय मैं दो माह की थी। वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र संलग्न है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि ग्राम बिछालस के नामान्तकरण संख्या 647 दिनांक 03.02.2021 को निरस्त फरमाकर जायज वारिसान के नाम दोबारा नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश फरमावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेरपोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेट क्रम 1 ता 3 द्वारा जवाब अपील पेश कर कथन किया कि अपील का मद नं. 1 स्वीकार है। अपील का मद नं. 2 सत्य तथ्यों पर आधारित होने की वजह से स्वीकार है। अपील का मद नं. 3 जिस तरह से लिखा है स्वीकार नही है क्योंकि मन्जू बाई को तीनों ही रेस्पोडेन्ट ने आज दिन तक देखा भी नही है और मन्जू बाई ग्राम बिछालस रेस्पोडेन्ट के यहां पैदा भी नही हुई और पारवती बाई को भी रेस्पोडेन्ट ने आज दिन तक भी नही देखा। पारवती बाई किशनलाल के यहां दासखेड़ा तहसील सांगोद में नाते गई थी और मन्जू बाई किशनलाल की पुत्री है। अपील का मद नं. 4 अस्वीकार है तथा निम्नलिखित विशेष कथन पेश किए गए।

विशेष कथन

माननीय न्यायालय में अपील में मन्जू बाई को न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही उसने माननीय न्यायालय में नामान्तकरण संख्या 647 दिनांक 03/02/2021 के खिलाफ अपील पेश की है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 2, 3 ने न तो कभी मन्जू बाई को देखा है और न ही मन्जू बाई उसके जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट के यहां आई है। मन्जू बाई न तो मांगीलाल की वारिस है और मन्जू बाई द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नही है जिससे मन्जू बाई मांगीलाल की वारिस साबित होती हो। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1, 2, 3 जवाब पेश कर निवेदन करते है जैरकार अपील को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा जवाब अपील पेश कर कथन किया कि ग्राम बिछालस में मृतक मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति मीणा निवासी बिछालस के वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 647/20.03.2021 जिसे ग्राम पंचायत कटावर द्वारा तस्दीक किया गया है। वह जानकारी के अभाव में गलत तस्दीक हुआ है क्योंकि मांगीलाल की पूर्व पत्नी जिससे मांगीलाल का विवाह हुआ था संबंध विच्छेद हो जाने के कारण अन्य जगह नाते चली गई थी उसके एक लडकी ग्राम बिछालस में पेदा हुई थी तथा जब वह ग्राम बिछालस से गई थी तब दो–तीन माह की थी। इस बात का पता मुझे तब लगा जब वह लडकी जिसका नाम मंजू बाई है तहसीलदार साहब के यहां अपने पिता का फौती नामान्तकरण खुलवाने के लिए प्रार्थना पत्र देखर गई। तब मेरे द्वारा व पटवारी द्वारा मृतक मांगीलाल के वारिसान की जांच करने पर पता लगा की मांगीलाल के वर्तमान में जो पत्नी है व तो नाते लाई गई थी। इसकी पहली पत्नी जिससे इसकी शादी हुई थी उससे इसका संबंध विच्छेद हो गया था और वह जब यहां से गई थी तब उसके दो–तीन माह की बच्ची थी जिसे वह साथ लेकर गई थी। उसका नाम भी मांगीलाल के वारिसान में दर्ज होना चाहिए था क्योंकि वह भी मांगीलाल की जायज वारिसान है। इस प्रकार मांगीलाल का फौती नामान्तकरण संख्या 647 दिनांक 20.03.2021 खुला है वह गलत खुला है जो कि निरस्त फरमाने योग्य है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम बिछालस के नामान्तकरण संख्या 647 को निरस्त फरमावें।

अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रार्थना पत्र मंजू बाई (प्रदर्श–P1), शपथ पत्र मंजू बाई, मतदाता पहचान पत्र मंजू बाई, आधार कार्ड मंजू कुमारी मीणा, नकल नामान्तकरण संख्या 647 ग्राम बिछालस (प्रदर्श–P2), मृत्यु प्रमाण पत्र मांगीलाल, वारिस प्रमाण पत्र व नकल जमाबन्दी ग्राम व माल बिछालस खाता संख्या 139 आदि पेश किये गये।

बहस उभय पक्षकारान सूनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। अभिभाषक अपीलान्ट का कथन है कि मांगीलाल की मृत्यु 27.12.2020 को हो गई थी। मांगीलाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मनीष द्वारा शपथ पत्र पेश कर मनीष पुत्र मांगीलाल, कुलदीप पुत्र मांगीलाल व संतोष बाई पत्नी मांगीलाल के पक्ष में नामानतरण खुलवा लिया। नामान्तकरण खुलने के बाद मांगीलाल की पहली पत्नी की पुत्री मंजू बाई ने दिनांक 27.07.2021 को अपने पिता मांगीलाल के फौती नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेष किया तथा मांगीलाल के कुल वारिसान बताये तथा कथन किया कि मंजू बाई मांगीलाल

की पहली पत्नी की पुत्री है जो 2 माह की थी तभी अपनी माता के साथ चली गई थी तथा अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 647 को गैर कानूनी एवं अवैधानिक होने से उसे निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 द्वारा अभिभाषक अपीलान्ट की बहस का पूरजौर विरोध करते हुए कथन किया कि मंजू बाई को तीनो रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 ने आज दिन तक नही देखा और मंजू बाई ग्राम बिछालस में रेस्पोडेन्ट के यहा पेदा नही हुई। पार्वती बाई किशनलाल के यहां दासखेडा तहसील सांगोद के नाते गई थी और मंजू बाई किशनलाल की पुत्री है। मंजू बाई न तो मांगीलाल की वारिस है और मंजू बाई द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी पेश नही है जिससे मंजू बाई मांगीलाल की वारिस साबित होती हो। अपीलान्ट ने जो अपील नामान्तकरण पेश की गई है वो मंजू बाई द्वारा पेश नही की गई। पक्षकार ही अपील पेश करने हेतु अधीकृत है। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा मंजू बाई को अपील में आवश्यक पक्षकार भी नही बनाया है।

रेस्पोडेन्ट क्रम 4 द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि मांगीलाल के वर्तमान में जो पत्नी है व तो नाथे लाई थी। मांगीलाल की पहली पत्नी जिससे इसकी शादी हुई थी उससे इसका संबंध विच्छेद हो गया था और वह जब यहा से गई थी तब उसके दो–तीन माह की बच्ची थी जिसे वह साथ लेकर गई थी उसका नाम भी मांगीलाल के वारिसान के में दर्ज होना चाहिए था क्योंकि वह भी मांगीलाल के जायज वारिसान है। इस प्रकार मांगीलाल का जो फौती नामान्तकरण संख्या 647 दिनांक 20.03.2021 खुला है वह गलत खुला है जो कि निरस्त फरमाने योग्य है।

बहस अभिभाषक, पत्रावली पर उपस्थित रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 4 जो कि उक्त ग्राम पंचायत का सरपंच है उसने स्वयं गलत नामान्तकरण खोलना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 647 दिनांक 03.02.2021 ग्राम कटावर खारिज कर तहसीलदार अटरू को मांगीलाल के वैध वारिसानों की जाँच कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण संख्या 647 दिनांक 03.02.2021 ग्राम कटावर खारिज किया जाता है। तहसीलदार अटरू को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक मांगीलाल के वैध वारिसानों की जाँच कर नामान्तकरण दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां